

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या - 56/2023

पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

- 1 कैलाश चन्द्र पिता लादूलाल बैरवा उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
----- (प्रार्थीगण)

बनाम

- 1 परमेश्वर पिता रामलाल कुम्हार उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 2 भूरा पिता श्रवण कुम्हार उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 3 छोदू पिता गोकल कुम्हार उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 4 महावीर पिता रामकिशन कुम्हार उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 5 श्रीकिशन पिता गोकल कुम्हार उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 6 रीना कंवर पत्नि अजय पाल सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी गणपतिया खेडा तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 7 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकला जिला भीलवाड़ा

----- (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री शिवराज शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 21.06.2023


प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 04.05.2023 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम गणपतिया खेडा पटवार मण्डल सणगारी भू.अ.नि. फूलियाकला तहसील फुलियाकला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 45 के आ.न. 141 रकबा 1.65 हैक्टर, भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 18.05.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम गणपतिया खेडा पटवार मण्डल सणगारी भू.अ.नि. फूलियाकला तहसील फुलियाकला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 45 के आ.न. 141 रकबा 1.65 हैक्टर, भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक फूलियाकला को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसीयान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकला, जिला भीलवाड़ा